(c) Government have taken note of the Memorandum signed by Members of both Houses of Parliament and state Legislatures. The decision is expected to be taken in the near future.

लोहे और इस्पात की आवश्यकता तथा उत्पादन

637. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरी सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में लोहे और इस्पात की मांग कितनी है और उसका उत्पादन कितना है; और

(ख) उक्त कमी की पूर्ति करने के संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और कितनी कमी पूरी हो जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाल में किये गये अध्ययन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1972-73 में तैयार साधारण इस्पात और कच्चे लोहे की मांग क्रमशः 61 से 62 लाख टन और 10 लाख टन होगी। 1971-72 में तैयार साधारण इस्पात का उत्पादन लगभग 44 लाख टन था और विक्रय कच्चे लोहे का उत्पादन लगभग 10 टन लाख था।

(ख) देश में कच्चे लोहे की कमी नहीं है। जहां तक इस्पात का संबंध है, कमी को पूरा करने के लिये गये उपायों में देशीय उत्पादन को बढ़ाना, आयात को उदार बनाना, निर्यात को विनियमित करना और वितरण को दोषरहित बनाना है। यदि 1972-73 में 55 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो इससे तथा वास्तविक आयात से मंगाये गये माल से अनुमानित आवश्यकता की आंशिक पूर्ति हो जाएगी।

बेरोजगारी भत्ता

638. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरी सिंह :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता के 25 वर्ष पूरे हो जाने से बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) बेरोजगार भत्ता पर प्रति वर्ष कितना व्यय होने की सम्भावना है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० क० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Non-Deposit of E.P.F. by Damoda Patmohana and Western Kajora Coal Mines in West Bengal

639. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the management of the Damoda Patmohana, Western Kajora Coal Mines in West Bengal have not paid Provident contribution of about Rs. one crore and even mis-appropriated workers' share;

(b) the exact amount which has not been paid by each of the above managements;

(c) the action taken against them for realisation of dues and results thereof; and

(d) the reasons why the Defence of India Rules have not been applied to the managements for misappropriation of Provident Fund?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): The Coal Mines Provident Fund authorities have reported as under:—

(a) For the period upto March, 1972, these collieries have defaulted in payment of Provident Fund dues amounting to Rs. 30.8 lakhs. Non-payment of members' share of contribution recovered from their wages amounts to breach of trust.